रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092020-221851 CG-DL-E-21092020-221851

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 464] No. 464] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 2020/भाद्र 30, 1942 NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 2020/BHADRA 30, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 570(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 418 की उपधारा (i) के साथ पठित धारा 418 और धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (स्टॉफ कार ड्राइवरों की भर्ती, वेतन और सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन) नियम, 2020 है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं:- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
- (क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;
- (ख) "नियुक्ति प्राधिकरण" से केंद्रीय सरकार या प्राधिकरण अभिप्रेत है, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा अपील अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं;
- (ग) "अपील अधिकरण" से धारा 410 के अधीन गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण अभिप्रेत है;
- (घ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।
- (2) उन सभी शब्दों और पदों के जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में, यथास्थिति, उनके हैं।
- 3. लागू होना.- ये नियम अनुसूची-I के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

4370 GI/2020 (1)

- 4. आरंभिक गठन.- उक्त अनुसूची-। के स्तंभ 1 में दर्शाए गए पद पर ऐसा पदधारी जो कंपनी विधि बोर्ड या प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण के भंग से ही अपील अधिकरण का कर्मचारी, जो नियमित आधार पर ऐसा पद धारण किया हुआ है, को इन नियमों के उपबंधों के अधीन सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया समझा जाएगा और उक्त प्रारंभ से पूर्व उक्त पद पर उसके द्वारा की गई सेवा को पेंशन, उपदान और अन्य ऐसे फायदों के लिए अधिकार और विशेषाधिकार के प्रयोजन के लिए गणना में शामिल किया जाएगा।
- **5. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और इससे उपाबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो अनुसूची-I के स्तंभ (2) से (4) में यथा-विनिर्दिष्ट हैं।
- 6. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.- भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और इनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची-I के स्तंभ (5) से (13) में यथा-विनिर्दिष्ट हैं।
- 7. नियुक्ति.- उक्त पद पर नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा की जाएगी।
- 8. सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया.- अपील अधिकरण अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापन द्वारा अपील अधिकरण में अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा और नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय सरकार, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, अधिकरणों और अपील अधिकरण द्वारा यथा-विहित अन्य संगठनों में पर्याप्त अनुभव रखने वाली मान्यता प्राप्त व्यावसायिक एजेंसी के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया संचालित करेगा।
- 9. प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया.- अपील अधिकरण रोजगार समाचार में प्रकाशन सहित व्यापक रूप से विज्ञापन के माध्यम से पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा। अलग-अलग पदों के लिए अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर चयन किया जाएगा।
- 10. प्रतिनियुक्ति के लिए नियुक्ति पर कर्मचारियों का आमेलन.- इन नियमों के उपबंधों में विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त ऐसे व्यक्ति, जो इन नियमों में निर्धारित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं तथा जो विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त समझे जाएंगे, वे आमेलन के लिए उनके विकल्प की शर्त के अध्यधीन अलग-अलग ग्रेड में आमेलन के लिए पात्र होंगे।
- (2) ऐसा आमेलन इस शर्त के अध्यधीन भी होगा कि उनके मूल विभाग या संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण को अपील अधिकरण में उनके आमेलन पर कोई आपत्ति नहीं है।
- (3) उप-नियम (1) के अधीन नियुक्त कर्मचारी की ज्येष्ठता की स्थिति संबंधित पद में उनके आमेलन की तारीख के प्रति-निर्देश से अवधारित होगी।
- 11. सेवा की शर्तें.- (1) वेतन, भत्ते, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तों के मामलों में उक्त पद के लिए सेवा की शर्तों को केंद्रीय सरकार के तद्नुरूपी वेतनमान के कर्मचारियों के लिए उस समय लागू ऐसे नियमों और विनियमनों के अनुसार नियमित किया जाएगा।
- (2) भविष्य निधि स्कीम, सामूहिक बीमा या कोई अन्य बीमा स्कीम, अधिवर्षिता की आयु, पेंशन और सेवानिवृत्ति फायदे से संबंधित मामले में, अधिकरण में प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्य कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों अपने मूल मंत्रालय या विभाग या संगठन में उन पर लागू सुसंगत नियमों के अनुसार प्रशासित होते हैं।
- (3) अपील अधिकरण उनके वेतन से ऐसी स्कीमों के अंशदान की कटौती करके तत्काल संबंधित मंत्रालय या विभाग या संगठन को भेजेगा और विलंब से भेजी गई राशि पर ब्याज की किसी क्षति को अपील अधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा।
- (4) अधिकरण के स्टॉफ कार ड्राइवर को अपने मूल संगठन या इन नियमों के उपाबद्ध के साथ संलग्नक अनुसूची-II में यथा-विनिर्दिष्ट उनकी पात्रता के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने का विकल्प होगा।
- 12. आवास.- अपील अधिकरण के स्टॉफ कार ड्राईवर को केंद्रीय सरकार के तद्नुरूपी वेतनमान के कर्मचारियों के लिए लागू केंद्रीय सरकार द्वारा विहित दरों के अनुसार मकान किराया भत्ते का दावा करने का विकल्प होगा।

परंतु उन्हें सामान्य पूल के रिहायशी आवास के लिए पात्र घोषित किए जाने और उन्हें आबंटित ऐसे सरकारी आवास को अधिभोग करने की स्थिति में मकान किराया भत्ते की पात्रता नहीं होगी। 13. अनुशासनिक कार्रवाइयां.- अपील अधिकरण के स्टॉफ कार ड्राईवर केंद्रीय सरकार के वेतन मैट्रिक्स में तद्नुरूपी स्तर के कर्मचारियों के लिए लागू नियमों और विनियमनों के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाइयों के अध्यधीन होंगे।

14. निरर्हता.- वह व्यक्ति,-

- (i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ii) जिसने, अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, अपील अधिकरण में किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 15. सेवा की अन्य शर्तें.- उक्त पद की सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जिनके लिए इन नियमों में कोई विशिष्ट उपबंध या पर्याप्त उपबंध नहीं है, को केंद्रीय सरकार के वेतन मैट्रिक्स में तद्नुरूपी स्तर के भिन्न-भिन्न स्थानों पर नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर समय समय पर लागू इन नियमों और आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
- **16. शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केंद्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा अपील अधिकरण के अध्यक्ष से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 17. व्यावृति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची-[नियम 4, 5 और 6 देखें]

[गर्यम म, ७ आर ७ पव]						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) स्टॉफ कार ड्राईवर	(2) 5*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	(3) लागू नहीं होता।	स्तर-2 (रु 19,900- 63,200)	(5) लागू नहीं होता।	(6) आयु 18 से 27 वर्ष के बीच। टिप्पण 1: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार पांच वर्ष तक सरकारी सेवक के लिए शिथिल की जा	अनिवार्यः 1. मान्यताप्राप्त संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। 2. मोटर कार के लिए वैध ड्राईविंग लाइसेंस।
					सकती है। टिप्पण 2: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, लाहौल और स्पिति खंड और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप- खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को छोड़कर आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी।	3. मोटर मैकेनिज्म का ज्ञान और मोटर वाहन में छोटी खराबियों को सुधारने में सक्षम हो। 4. कम से कम तीन वर्ष का मोटर कार ड्राईविंग का अनुभव। वांछनीय: होम गार्ड अथवा सिविल वालंटियर के रूप में तीन वर्ष की सेवा।

ब्यक्तियों के प्राप्त के से सीधी भर्ती के हैं। प्रतिनेयुक्ति/आमेलन के द्वारा की गई है। प्रतिनेयुक्ति/आमेलन के द्वारा की गई है और क्या विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरा जाएगा (8) (9) (10) (11) (12) (13) लागू नहीं होता। लिए दो वर्ष। प्रतिनेयुक्ति/आमेलन द्वारा जिस्तेया जाएगा (14) (12) (13) लागू नहीं होता। लिए दो वर्ष। प्रतिनेयुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और मोटर कार व्राप्तिआमेलन परीक्षा और मोटर कार व्राप्तिआमेलन परीक्षा और मोटर कार व्राप्तिआमेलन परीक्षा और मोटर कार व्राप्तिआमेल अथवा राज्य सरकारों या अधिकरणों के सातवें केंद्रीय अथवा न्यायालयों या अधिकरणों के सातवें केंद्रीय अथवा न्यायालयों या अधिकरण के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा। इस्पैच राइडर/मल्टी टास्किंग का रजिस्ट्रार किया जाएगा। इस्पैच राइडर/मल्टी टास्किंग का रजिस्ट्रार किया जाएगा। इस्पैच राइडर/मल्टी टास्किंग का रजिस्ट्रार का सामिति (अवर सचिव के स्तर से नीचे का न हो) - सदस्य द्वारा जाएगा का उप-रजिस्ट्रार (अध्यक्ष द्वारा नामिति इस्प द्वारा नामिति इस्ट किए जाने		0.0	w c v v	2.0	0000	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
सामले में सीधी भर्ती के लिए त्रांचे के द्वारा की गई है। अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन के द्वारा की गई है और क्या विभिन्न रक्षानों को विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरा जाएगा। (8) (9) (10) प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा निर्धारित किया जाएगा। (8) (9) (10) प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा निर्धारित किया जाएगा। (8) (9) (10) प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा निर्धारित किया जाएगा। (8) प्रण प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा निर्धारित किया जाएगा। (12) (13) विभागीय समिति (पुष्ट और प्रतिनियुक्ति/आमेलन: द्वारा जिसके न हो सकने पर वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और मोटर कार द्वाईविंग में कौशल परीक्षा और मोटर कार द्वाईविंग में कौशल परीक्षण के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा किया जिएगों के सातवें केंद्रीय अथवा राज्य सरकारों या अधिकरणों के सातवें केंद्रीय जाएगा। सिर्मा में कैशल प्रजान के किए जाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाता है प्रतिनयुक्ति/आमेलन: द्वारा जिसके न हो सकने संघ राज्य क्षेत्रों अथवा राज्य सरकारों या अधिकरणों के सातवें केंद्रीय जाएगा। सिर्मा में कैशल प्रजान के किस प्रोचित्र किया जाएगा। (12) विभागीय समिति (पुष्ट और प्रतिनयुक्ति के संघ राज्य क्षेत्रों अथवा राज्य सरकारों या अधिकरणों के सातवें केंद्रीय जाएगा के कर्मचारी वेतन जायोग के कर्मचारी वेतन परिक्रा करने के लिए) जिसमें निर्मालविं होंगे: (1) अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार – अध्यक्ष; चामिति (अवर सचिव के स्तर्यः) – सदस्य; (3) अपील अधिकरण का उप-रजिस्ट्रार (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिस्ट किए जाने	क्या प्रोन्नत	परिवीक्षा	क्या भर्ती पद्धति सीधी	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति	यदि विभागीय प्रोन्नति	वे परिस्थितियां
भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं लागू होंगी। (8) (9) (10) (11) प्रतिनियुक्ति/आमेलन होरा निर्धारित किया जाएगा (8) लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा (8) लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा (8) लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा (8) लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा (12) (13) लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। (14) प्रतिनियुक्ति/आमेलन: होरा। लिए दो वर्ष। लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। (15) जिस्में निर्मात सिर्मित (पुष्टि और प्रतिनियुक्ति के संघं प्रतिनियुक्ति के लिए) जिसमें निम्नलिख होंगे: (1) अपील अधिकरण का रिजस्प्रार – अध्यक्ष; राज्य सेवा सेवा अयेवा प्रतिनियुक्ति अथवा निर्मात सिर्मित (पुष्टि और प्रतिनियुक्ति के लिए) जिसमें निम्नलिख होंगे: (1) अपील अधिकरण का रिजस्प्रार – अध्यक्ष; राज्य सेवा अयेवा प्रतिनियुक्ति अथवा निर्मात सिर्मित (पुष्टि और प्रतिनेयुक्ति के लिए) जिसमें निम्नलिख होंगे: (1) अपील अधिकरण का रिलस् संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाता है			भर्ती अथवा प्रोन्नति		,	
निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं लागू होंगी। (8) (9) (10) (11) (12) (13) लागू नहीं होता। तिर्धार्व में विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरा जाएगा। (8) (9) (10) (11) (12) (13) लागू नहीं होता। तिर्धार्व में विभिन्न प्रतिनेयुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और मोटर कार ब्राइविंग में कौशल परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा कि सी से पर पर सिक्रिक के सात के से निर्मात कि सिक्र के विच से जो स्तंभ नं . 7 में उल्लिखित योग्यता और अनुभव रखते हो। तिर्ध सिव का न हो) - सदस्य; (3) अपील अधिकरण का उप-रिजस्ट्रार (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिस्ट किए जाने		कोई है।		मामले में ग्रेड को किस प्रोन्नति	उसमें कौन-कौन व्यक्ति	किए जाने के
अरै शैक्षिक अर्हताएं लागू होंगी। (8) (9) (10) (11) (12) (13) लागू नहीं होता। लिए दो वर्ष। विभन्न ने सकने ने सकने परीक्षा और मोटर कार हाईविंग में कौशल परीक्षण के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा। (8) वागू नहीं लिए दो वर्ष। वारा जिसके न हो सकने परीक्षा और मोटर कार हाईविंग में कौशल परीक्षण के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा। (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) प्रितनियुक्ति/आमेलन: वारा जिसके न हो सकने परीक्षा और अथवा राज्य सरकारों या अधिकरणों के सातवें केंद्रीय अथवा न्यायालयों या अधिकरणों के सातवें केंद्रीय जिम्मित (पुष्टि जीम्मित (पुष्टि जोम्मित (पुष्टि जीम्मित (पुष्टि जोम्मित (पुष्टि जोम्मित (पुष्टि जोम्मित (पुष्टि जीम्मित (पुष्टि जोम्मित (पुष्टि जोम्म	भर्ती के लिए		प्रतिनियुक्ति/आमेलन के	अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा	शामिल है।	लिए संघ लोक
अर्हताएं लागू होंगी। (8) (9) (10) (11) (12) (13) लागू नहीं सीधी भर्ती के प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने के द्वीय अथवा राज्य सरकारों या पर वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और मोटर कार प्रतिक्षिण के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा। (8) (9) (10) (11) (12) (13) (12) (13) (13) (14) (14) (15) (17) (17) (18) (18) (19) (11) (10) (11) (11) (12) (13) (14) (14) (15) (17) (17) (17) (17) (18) (17) (17) (18) (18) (19) (10) (11) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (17) (17) (18) (17) (18) (19) (18) (19) (17) (10) (11) (11) (11) (12) (13) (14) (14) (15) (16) (17) (17) (17) (18) (18) (19) (19) (19) (11) (10) (11) (11) (12) (13) (14) (14) (15) (15) (16) (16) (17) (17) (17) (18) (18) (19) (19) (19) (11) (10) (11) (12) (13) (14) (14) (15) (15) (16) (16) (17) (17) (17) (17) (18) (18) (2) (2) (3) (4) (3) (4) (4) (4) (5) (4) (5) (5) (6) (7) (7) (7) (8) (8) (8) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (14) (15) (15) (16) (17) (17) (17) (17) (18) (18) (18) (19) (19) (10) (11) (12) (13) (14) (14) (15) (14) (15) (15) (16) (17) (17) (17) (17) (17) (18) (18) (18) (19) (19) (17) (10) (11) (12) (13) (14) (14) (15) (15) (16) (17) (17) (17) (17) (17) (18) (18) (18) (18) (19) (19) (17) (10) (11) (12) (13) (14) (14) (15) (15) (16) (17)	निर्धारित आयु		द्वारा की गई है और	आमेलन द्वारा निर्धारित किया		सेवा आयोग से
होंगी। पद्धितयों द्वारा भरा जाएगा (8) (9) (10) (11) (12) (13) लागू नहीं होता। सीधी भर्ती के प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और मोटर कार ड्राईविंग में कौशल परीक्षण के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा। उन्हें होता। किया जाएगा। उन्हें होता। विभागिय सिमित (पृष्टि और प्रतिनयुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: (1) अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार – अध्यक्ष; (2) सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय का नामिति (अवर सचिव के स्तर से नीचे का न हो) – सदस्य; (3) अपील अधिकरण का उप-रजिस्ट्रार (अध्यक्ष द्वारा नामिनिर्देस्ट किए जाने	और शैक्षिक		क्या विभिन्न रिक्त	जाएगा।		परामर्श किया
(8) (9) (10) (11) (12) (13) लागू नहीं तीधी भर्ती के प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और मोटर कार ह्वाईविंग में कौशल परीक्षण के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा। सिधी भर्ती द्वारा किया जाएगा। (11) (12) (13) विभागीय समिति (पुष्टि लागू नहीं होता। विभागीय समिति (पुष्टि कागू नहीं होता।	अर्हताएं लागू		स्थानों को विभिन्न			जाता है
(8) (9) (10) (11) (12) (13) लागू नहीं ति। सिधी भर्ती के प्रतिनियुक्ति/आमेलन हो सकने पर वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और मोटर कार इर्डिवेंग में कौशल परीक्षण के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा। परीक्षण के विचर्ष सरकारों या अधिकरणों के सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के कर्मचारी वेतन परीक्षण के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा। इर्डिक्स में स्तर-2 में नियमित (1) अपील अधिकरण का रखते हो। (1) अपील अधिकरण का राजिस्ट्रार — अध्यक्ष; (2) सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय का नामिति (अवर सचिव के स्तर से नीचे का न हो) — सदस्य; (3) अपील अधिकरण का उप-रजिस्ट्रार (अध्यक्ष द्वारा नामितिर्देस्ट किए जाने	होंगी।		पद्धतियों द्वारा भरा			
लागू नहीं सीधी भर्ती के प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और मोटर कार ड्राईविंग में कौशल परीक्षण के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा। जाएगा। प्रतिनियुक्ति/आमेलन: केंद्रीय अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों अथवा न्यायालयों या अधिकरणों के सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के कर्मचारी वेतन परीक्षण के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा। उल्लिखित योग्यता और अनुभव रखते हो। विभागीय समिति (पुष्टि और प्रतिनियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: (1) अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार – अध्यक्ष; (2) सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय का नामिति (अवर सचिव के स्तर से नीचे का न हो) - सदस्य; (3) अपील अधिकरण का उप-रजिस्ट्रार (अध्यक्ष द्वारा नामिनिर्दिस्ट किए जाने			जाएगा			
होता। लिए दो वर्ष। द्वारा जिसके न हो सकने पर वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और मोटर कार ड्राईविंग में कौशल परीक्षण के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा। यहिकरणों के सातवें केंद्रीय जिल्ले के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: (1) अपील अधिकरण का राजण्या। विल्लेखित योग्यता और अनुभव रखते हो। (2) सचिव, कारपोरेट कार्य के ति हो। स्तरस्य; (3) अपील अधिकरण का उप-राजिस्ट्रार कार्य पर सत्य से नीचे का न हो) स्तरस्य; (3) अपील अधिकरण का उप-राजिस्ट्रार नामनिर्दिस्ट किए जाने	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
होता। लिए दो वर्ष। द्वारा जिसके न हो सकने पर वस्तुनिष्ठ प्रकार की पर वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और मोटर कार ड्वाईविंग में कौशल परीक्षण के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा। होता। लिए दो वर्ष। पर वस्तुनिष्ठ प्रकार की पर अधिकरणों के सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के कर्मचारी वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 में नियमित डिस्पैच राइडर/मल्टी टास्किंग का रजिस्ट्रार – अध्यक्ष; स्टॉफ के बीच से जो स्तंभ नं. 7 में उल्लिखित वोग्यता और अनुभव रखते हो। होता। लिए जिसमें विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: (1) अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार – अध्यक्ष; (2) सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय का नामिति (अवर सचिव के स्तर से नीचे का न हो) - सदस्य; (3) अपील अधिकरण का उप-रजिस्ट्रार (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिस्ट किए जाने	लागू नहीं	सीधी भर्ती के	प्रतिनियुक्ति/आमेलन	प्रतिनियुक्ति/आमेलन:	विभागीय समिति (पुष्टि	लागू नहीं होता।
पर वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और मोटर कार ज़ाईविंग में कौशल परीक्षण के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा। संघ राज्य क्षेत्रों अथवा न्यायालयों या अधिकरणों के सातवें केंद्रीय वेतन अयोग के कर्मचारी वेतन परीक्षण के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा। स्टॉफ के बीच से जो स्तंभ नं. 7 में उल्लिखित योग्यता और अनुभव रखते हो। संघ राज्य क्षेत्रों अथवा न्यायालयों संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: (1) अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार – अध्यक्ष; स्टॉफ के बीच से जो स्तंभ नं. 7 में उल्लिखित योग्यता और अनुभव रखते हो। संवंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: (2) सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय का नामिति (अवर सचिव के स्तर से नीचे का न हो) - सदस्य; (3) अपील अधिकरण का उप-रजिस्ट्रार (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिस्ट किए जाने		लिए दो वर्ष।	_	ı		• • • •
परीक्षा और मोटर कार वा अधिकरणों के सातवें केंद्रीय वितन प्रिक्षण के अधार पर सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा। परीक्षण के अधार पर सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा। उल्लिखित योग्यता और अनुभव रखते हो। परीक्षण के अधार पर मैट्रिक्स में स्तर-2 में नियमित (1) अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार – अध्यक्ष; स्टॉफ के बीच से जो स्तंभ नं. 7 में (2) सचिव, कारपोरेट जिल्लिखित योग्यता और अनुभव रखते हो। मिति (अवर सचिव के स्तर से नीचे का न हो) - सदस्य; (3) अपील अधिकरण का उप-रजिस्ट्रार (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिस्ट किए जाने						
ब्राईविंग में कौशल परीक्षण के आधार पर मैट्रिक्स में स्तर-2 में नियमित सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा। जाएगा। उल्लिखित योग्यता और अनुभव रखते हो। प्रिक्षण के आधार पर मैट्रिक्स में स्तर-2 में नियमित ती अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार – अध्यक्ष; स्टॉफ के बीच से जो स्तंभ नं. 7 में उल्लिखित योग्यता और अनुभव रखते हो। प्रिक्षण के आधार पर मैट्रिक्स में स्तर-2 में नियमित ती अपील अधिकरण का नामिति (अवर सचिव के स्तर से नीचे का न हो) - सदस्य; (3) अपील अधिकरण का उप-रजिस्ट्रार (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिस्ट किए जाने						
परीक्षण के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा किया जिएगा। परीक्षण के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा किया जिस्प्रेच राइडर/मल्टी टास्किंग का रजिस्ट्रार – अध्यक्ष; स्टॉफ के बीच से जो स्तंभ नं. 7 में (2) सचिव, कारपोरेट उल्लिखित योग्यता और अनुभव का मामिति (अवर सचिव के स्तर से नीचे का न हो) - सदस्य; (3) अपील अधिकरण का उप-रजिस्ट्रार (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिस्ट किए जाने					-	
सिधी भर्ती द्वारा किया जाएगा। डिस्पैच राइडर/मल्टी टास्किंग का रजिस्ट्रार – अध्यक्ष; जाएगा। स्टॉफ के बीच से जो स्तंभ नं. 7 में (2) सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय का नामिति (अवर सचिव के स्तर से नीचे का न हो) - सदस्य; (3) अपील अधिकरण का उप-रजिस्ट्रार (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिस्ट किए जाने			* '			
जाएगा। स्टॉफ के बीच से जो स्तंभ नं. 7 में (2) सचिव, कारपोरेट उल्लिखित योग्यता और अनुभव कार्य मंत्रालय का नामिति (अवर सचिव के स्तर से नीचे का न हो) - सदस्य; (3) अपील अधिकरण का उप-रजिस्ट्रार (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिस्ट किए जाने			सीधी भर्ती द्वारा किया	* *		
उल्लिखित योग्यता और अनुभव कार्य मंत्रालय का रखते हो। नामिति (अवर सचिव के स्तर से नीचे का न हो) - सदस्य; (3) अपील अधिकरण का उप-रजिस्ट्रार (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिस्ट किए जाने			जाएगा।		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
रखते हो। नामिति (अवर सचिव के स्तर से नीचे का न हो) - सदस्य; (3) अपील अधिकरण का उप-रजिस्ट्रार (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिस्ट किए जाने					,	
स्तर से नीचे का न हो) - सदस्य; (3) अपील अधिकरण का उप-रजिस्ट्रार (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिस्ट किए जाने				_		
- सदस्य; (3) अपील अधिकरण का उप-रजिस्ट्रार (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिस्ट किए जाने						
(3) अपील अधिकरण का उप-रजिस्ट्रार (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिस्ट किए जाने					. ,	
का उप-रजिस्ट्रार (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिस्ट किए जाने						
(अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिस्ट किए जाने					` '	
नामनिर्दिस्ट किए जाने					• • •	
					`	
					वाला) – सदस्य	

अनुसूची-॥

[नियम 11(4) देखें]

चिकित्सा सुविधाएं

1. बाह्य चिकित्सा खर्चें:- (1) अधिकारी और कर्मचारी स्वयं और परिवार के घोषित सदस्यों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनार्थ, "परिवार" अभिव्यक्ति का वही अर्थ है जो केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 में निर्दिष्ट किया गया है।

- (2) वर्ष के दौरान बाह्य चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय या वर्ष की 1 जनवरी को (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) एक माह के वेतन तक सीमित होगी जो भी कम हो।
- (3) दावा, डॉक्टर की दवा पर्ची डॉक्टर द्वारा उपचार तथा दवाओं की खरीद के लिए मूल केश मीमो या बिलों द्वारा समर्थित होना चाहिए और वर्ष के दौरान वेतन वृद्धि की प्रतिपूर्ति या प्रोन्नति 01 जनवरी की सीमा को प्रभावित नहीं करेगी।
- (4) वर्ष के दौरान कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए, वार्षिक हकदारी आनुपातिक आधार पर सीमित होगी।
- (5) बाह्य उपचार अपील अधिकरण द्वारा रखे गए पैनल से प्राधिकृत चिकित्सकों से लिया जाएगा।

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5

2. अंतरंग उपचार.-

- (1) अंतरंग उपचार के प्रयोजनार्थ, अधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी इसके लिए अपील अधिकरण द्वारा प्राधिकृत अस्पतालों में चिकित्सा उपचार के लिए पात्र होंगे, और इस प्रयोजनार्थ, अस्पताल कक्ष, नर्सिंग सुविधा सिहत उपचार की लागत केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों जो समतुल्य वेतन आहरित कर रहे हैं, के समान केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के अनुसार होगी।
- (2) उक्त खंड (1) के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अस्पताल वहीं होंगे जो केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 द्वारा विनियमित केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं।
- (3) प्राधिकृत अस्पतालों में उपचार प्राधिकृत चिकित्सकों की सलाह पर केवल आपातकालीन पस्थितियों में ही लिया जा सकता है।

[फा. सं. ए-12023/01/2017-प्रशा.IV] ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2020

- G.S.R. 570(E).—In exercise of the powers conferred by section 418 and section 469 read with sub-section (i) of Section 418 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-
- 1. Short title and commencement:- (1) These rules may be called the National Company Law Appellate Tribunal (Recruitment, Salary and other Terms and Conditions of Service of Staff Car Drivers) Rules, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions**:–(1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
 - (a) "Act" means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
 - (b) "Appointing Authority" means the Central Government or the Authority to whom the powers are delegated by the Central Government for making appointments of officers and employees in the Appellate Tribunal by a notification;
 - (c) "Appellate Tribunal" means the National Company Law Appellate Tribunal constituted under section 410;
 - (d) "Schedule" means a Schedule annexed to these rules.
- (2) All other words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.
- **3. Application.** These rules shall apply to the post specified in column (1) of Schedule-I.
- 4. Initial Constitution.- The incumbent of the post shown in the column 1 of the said Schedule-I, who is holding such post on regular basis by becoming employee of the Appellate Tribunal on and from the dissolution of the Company Law Board or the Competition Appellate Tribunal shall be deemed to have been duly appointed under the provisions of these rules and the service rendered by him in the said post before the said dissolution shall be taken into account for the purpose of rights and privileges as to pension, gratuity and other like benefits.
- 5. Number of post, classification and level in pay matrix. The number of said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of Schedule-I.
- **6. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) the said Schedule-I.

- 7. **Appointment.-** Appointment to the said post shall be made by the Appointing Authority.
- **8. Procedure for appointment by direct recruitment.-** The Appellate Tribunal shall invite applications by advertisement on all India basis, for the said post and shall process for making appointment by the Appointing Authority, through a recognized professional agency having adequate experience in making recruitment in Central Government, Public Sector Undertakings or Tribunals.
- **9. Procedure for appointment on deputation basis.-** The Appellate Tribunal shall invite applications for the said post through wide advertisement including publishing invariably in Employment News and selection shall be made on the basis of recommendation of the Selection Committee prescribed in Schedule-I for the respective post.
- 10. Absorption of employees on appointment on deputation.- (1) Notwithstanding anything contained in the provisions of these rules, the persons appointed on deputation basis, who fulfill the qualifications and experience laid down in these rules and who are considered suitable by Departmental Promotion Committee, shall be eligible for absorption, in respective grade subject to the condition that such persons exercise their option for the absorption.
- (2) Such absorption shall also be subject to the condition that their parent departments or cadre controlling authorities do not have any objection to their being absorbed in the Appellate Tribunal.
- (3) Seniority status of appointed under sub rule (1) shall be determined with reference to the date of their absorption to the post concerned.
- 11. Conditions of service.- (1) The conditions of service to the said post in matters of pay, allowances, leave and other conditions of service shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are for the time being applicable to employees of the corresponding scale of pay of the Central Government from time to time.
- (2) In matters relating to Provident Fund Scheme, Group Insurance or any other Insurance Scheme, age of superannuation, pension and retirement benefits of the Staff Car Driver working on deputation basis shall continue to be governed by the relevant rules as applicable to them in their parent Ministry or department or organisation.
- (3) The Appellate Tribunal shall recover contributions toward such schemes from their salary and remit the amount immediately to the lending Ministry or Department or Organisation and any loss of interest on account of late remittance shall be borne by the Appellate Tribunal.
- (4) The Staff Car Driver of the Tribunal shall have the option to avail medical facilities as per their entitlement in the parent organisation or as specified in Schedule-II.
- **12. Accommodation.-** The Staff Car Driver of the Appellate Tribunal shall have the option of claiming House Rent Allowance in accordance with the rate prescribed by the Central Government as applicable to the employees of the corresponding scales of pay of the Central Government.

Provided that they shall not be eligible for House Rent Allowance in case they are declared eligible for general pool residential accommodation and occupies such a Government accommodation allotted to them.

13. **Disciplinary Proceedings.-** The Staff Car Driver of the Appellate Tribunal shall be subject to disciplinary proceedings as per rules and regulations applicable to the employees of the corresponding level in pay matrix of the Central Government.

14. **Disqualification.**- No person,-

- (i) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living; or
- (ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the Appellate Tribunal:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 15. Other conditions of service.- Other conditions of service to the said post for which no specific provision or insufficient provision has been provided in these rules, shall be regulated in accordance with such rules and orders, as are, from time to time, applicable to officers and employees of the corresponding level in pay matrix of pay of the Central Government stationed at those places.
- 16. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, in consultation with the Chairperson of the Appellate Tribunal by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 17. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, economically weaker section, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the rules and orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE-I

[see Rules 4, 5 and 6]

Name of post.	post.	Classification.	Matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Staff Car Driver.	*subject to variation dependant upon workload.	Not applicable.	Level-2 (Rs. 19,900 – 63,200).	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. Note 1: Relaxable for Government Servant up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications except for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahual and Spiti Division and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep.	Essential: 1. A pass in the 10 th standard from a recognised institution. 2. Possessing a valid driving licence for motor cars. 3. Knowledge of motor mechanism and be capable of removing minor defects in motor vehicle. 4. Experience of driving of a motor car for at least three years. Desirable: Three years' service as Home Guard or Civil Volunteer.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years for direct recruitment.	Deputation/ absorption failing which by direct recruitment on the basis of objective type test and skill test in driving motor car.	Deputation/Absorption: From amongst the regular Despatch Rider or Multi-Tasking Staff in level-1 in pay matrix of the Central or State Governments or Union territories administration or Courts or Tribunals who fulfils the qualification and experience mentioned in column No. 7.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Department Committee (for considering confirmation and selection for deputation) consisting of:	Not applicable.
1. Registrar of the Appellate Tribunal –Chairperson;	
2. Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Under Secretary)- Member;	
3. Deputy Registrar of the Appellate Tribunal (to be nominated by the Chairperson) – Member.	

Schedule-II

[See rule 11 (4)]

MEDICAL FACILITIES

1. **Outdoor Medical expenses.**—(1) Officers and employees shall be eligible to get medical reimbursement for self and declared members of family.

Explanation.– For the purpose of this clause, the expression "family" has the same meaning as assigned to it in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

- (2) The reimbursement of outdoor medical expenses during the year shall be limited to the actual expenses or one month's pay on the 1st January of the year (Basic pay plus Dearness Allowance) whichever is less.
- (3) The claim should be supported by doctor's prescription and the original cash memos or bills for treatment by the doctor and purchase of medicines and the release of increment or promotion during the year shall not affect the reimbursement limit as on the 1st January.
- (4) For the officers and employees joining during the year, the annual entitlement shall be restricted on pro-rata basis.
- (5) The outdoor treatment shall be taken from the authorised medical attendants from the panel to be maintained by the Appellate Tribunal.

2. Indoor treatment.-

- (1) For the purpose of indoor treatment, the officers and employees of the Appellate Tribunal shall be entitled for medical treatment at hospitals authorised by the Appellate Appellate Tribunal in this behalf, and for this purpose, the cost of treatment including hospital accommodation, nursing home facility shall be as per the provisions of the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 as applicable to the Central Government employees drawing equivalent pay.
- (2) The authorised hospitals for the purpose of clause (1) above shall be the same as are available to the Central Government employees regulated by Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.
- (3) Treatment at authorised hospitals may be taken on the advice of the authorised medical attendants only in emergency.

[F. No. A-12023/01/2017-Ad.IV] GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.